

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 155] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1983/वैशाख, 3 1905
No. 155] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1983/VAISAKHA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विस्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1983

सं. 112/83-सीमा शुल्क

सा. का. नि. 351(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकीहूत में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 77-सीमा-शुल्क, तारीख 17 अप्रैल, 1980 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सर्वेक्षण संख्यांक से सम्बन्धित पैरा 3 में, “295” अंकों के पश्चात् “296, 297, 299, 301” अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 361/18/82-सीमा-शुल्क-1]

एन. सासिधरन, अव्वर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 1983

NO. 112/83-CUSTOMS

G.S.R. 351(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 77-Customs, dated the 17th April, 1980, namely :—

In the said notification, in paragraph 3, relating to Survey Numbers, after the figures “295,” the figures “296, 297, 299, 301,” shall be inserted.

[F. No. 361/18/82-Cus. I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.